महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा प्रपत्र

धरोहर राशि बस/मिनी बस/बंद ट्रक रू. 20000/–नकद अथवा डी.डी., निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 400/– नकद
निविदा प्राप्ति की दिनांक 24.05.2016 अपरान्ह् 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक 24.05.2016 अपरान्ह् 3.00 बजे

कुलसचिव,
मदस विश्वविद्यालय,
अजमेर।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम तथा डाक का पूर्ण पताः–
   ____
   ____
   ____

2. दूरभाष नम्बर प्रतिष्ठान.. निवास..
   मोबाइल नं. ....
3. प्रोपराइटर/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकेः–
4. निविदा शुल्क की रकम रू. नकद रसीद/पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट संख्या............ दिनांक..................... द्वारा जमा करा दी गई है।
5. निविदा सूचना संख्या..................दिनांक................. को प्रकाशित हुई है में व निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम सहमत हे तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है (जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए है) का भी पालन करने के लिए हम सहमत है । निविदा प्रपत्र समग्र रूप से निर्धारित प्रपत्र में भरकर (प्रत्येक पृष्ठ पर) एवं हस्ताक्षर कर मूल ही लौटावें ।
6. संलग्न सूची में विशिष्टिकरण के आधार पर दरें उनके सम्मुख अंकित की गई है ।
7. धरोहर राशि रू........नकद रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या.............दिनांक...............के जरिए जमा कराई गई है । धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। पूर्व की जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि इस निविदा के लिए किसी भी रूप में मान्य नहीं होगी । धरोहर राशि के लिये चैक स्वीकार्य नहीं होगा। असफल निविदादाता को धरोहर राशि निविदा स्वीकार होने की तारीख से एक माह के बाद लौटा दी जावेगी । किन्तु सफल निविदादाता की धरोहर राशि को विश्वविद्यालय में जमा रखते हुए उसे प्रतिभूति राशि के एक भाग के रूप में मान लिया जावेगा ।
8. निविदा के लिफाफे के उपर धरोहर राशि नकद अथवा डी डी द्वारा जमा करा दी गई है और प्राप्ति रसीद/डी.डी. लिफाफे के अन्दर है स्पष्ट अंकित करने पर ही निविदा का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा का लिफाफा नहीं खोला जावेगा जिसके लिए निविदादाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा ।
9. कोई वाहन 2011 के पूर्व का नहीं है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर
मय सील

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

निविदा की शर्तें

1. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावेगा । दरों का अंकन अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी किया जावे। आवश्यक हो तो अंकों व शब्दों में अंकित दर में भिन्नता की स्थिति में शब्दों में अंकित दरों को मान्य कर दिया जावेगा ।
2. वाहन अनुभवी एवं लाइसेंसधारी चालक द्वारा ही चलाए जाएंगे तथा वाहन से संबंधित समस्त कागजात एवं वैध लाइसेंस एवं परमिट चालक को सदैव साथ रखने होंगे ।
3. समस्त कर (पथ कर आदि)फर्म को ही वहन करने होंगे तथा परमिट भी यदि आवश्यक हो तो फर्म को स्वयं अपने खर्च पर ही प्राप्त करना होगा ।
4. किसी भी यांत्रित/परिस्थितिजन्य त्रुटि के कारण विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि विश्वविद्यालय को अतिरिक्त मूल्य वाहन की व्यवस्था पर वहन करना होता है तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जायेगी।
5. प्रस्तावित रूटस के टेंटेटिव चार्ट विश्वविद्यालय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है । उक्त चार्ट को जब कभी आवश्यकता हो विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है ।
6. वाहन चालक द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को वाहन द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
7. परीक्षा सामग्री की गोपनीयता बनाए रखने हेतु फर्म अथवा वाहन चालक या उसके प्रतिनिधि द्वारा रवाना होने, पहुंचने, परिवहन की जाने वाली सामग्री एवं रूट आदि के विषय में किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी नहीं दी जावेगी।
8. वाहन चालक को विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए समय पर ही परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाने हेतु विशेष सतर्कता व गोपनीयता बरतनी होगी ।
9. वाहन चालक को किसी भी रूट पर रवाना होने से पूर्व उपकुलसचिव–गोपनीय से लॉग बुक में किलोमीटर रीडिंग नोट करवाना होगा एवं यात्रा में प्रयोगकर्ता प्रभारी से रीडिंग स्लिप पर हस्ताक्षर करवाकर संबंधित प्रभारी अधिकारी का प्रमाणीकरण कराना होगा तथा लॉगबुक निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रभारी अधिकारी प्रयोगकर्ता से सत्यापित करवानी पड़ेगी।
10. निविदा में दी गई दरें एक वर्ष के लिये मान्य होगी किन्तु आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति पर आवश्यकतानुसार अवधि से वृद्धि की जा सकेगी लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।
11. निविदाकार को निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से संबंधित सर्किल के बिक्री कर/सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की संख्या बिक्री कर/सर्विस टैक्स शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। पेन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि भुगतान योग्य राशि पर आयकर देय हुआ तो ठेकेदार के बिल से राशि की कटौति नियमानुसार कर दी जायेगी।
13. सफल निविदाकार को संविदा की यथावत क्रियान्विति के लिए निविदानुसार रूपये 50 हजार प्रतिभूति राशि के रूप में नकद/डी डी द्वारा जमा करानी होगी । इस जमा प्रतिभूति/धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार से ब्याज की कोई राशि देय नहीं होगी।
14. अनुमोदित प्रदायक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वाहन जो विश्वविद्यालय कार्य हेतु प्रयुक्त होना है,में किलोमीटर रीडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से चल रहा है।
15. किसी स्थान विशेष की विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ यात्रा में यदि किलोमीटर रीडिंग असामान्य रूप से परिवर्तित होना प्रतीत होती है तो किलोमीटर का निर्धारण पीडब्ल्युडी/रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकितानुसार किया जाकर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा ।
16. अनुबन्ध के पूर्व अथवा अनुबंधों के समय समस्त वाहनों के प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन पत्र व वाहन चालक का लाइसेन्स आदि मूल ही विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा मंगाए जाने पर अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने होंगे ।
17. वाहन अनुबंध के अनुभव हेतु यदि आप द्वारा पूर्व में किसी अन्य संस्था/कार्यालय द्वारा दिये गए आदेश एवं स्वीकृत शर्तो की प्रति भी सलंग्न करें ।
18. अनुबन्ध की अवधि में किसी भी संविदा विरूद्ध स्थिति फर्म द्वारा यदि उत्पन्न होती है अथवा निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा किया है तो

विश्वविद्यालय को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा अंशतः जब्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

19. सफल निविदादाता/निविदाताओं को धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि संविदा के संतोषप्रद कियान्विति की अवधि पूर्ण होने की तारीख के एक माह बाद ही लौटायी जायेगी । इस जमा राशि पर ब्याज की कोई राशि देय नहीं होगी ।
20. किसी भी वैधानिक वाद की स्थिति में फर्म द्वारा संस्थित किए जाने वाले दावे यदि आवश्यकता पड़े तो अजमेर शहर में स्थित न्यायालयों में ही प्रारम्भ करने होंगे, किसी अन्य स्थान पर नहीं।
21. निविदा सूचना प्रपत्र में सलग्न समस्त शर्तों का पालन करने की सहमति देने के प्रमाण स्वरूप निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने हैं ।
22. अनुबन्ध की अवधि में अनुमोदित दरों में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
23. अजमेर के बाहर के लिए आने व जाने वाले वाहन बस, मिनी बस व अन्य वाहनों के लिये न्यूनतम किलोमीटर की शर्तें निम्नानुसार होगीः—

1. बस के लिए	—	250 किलोमीटर प्रतिदिन
2. मिनी बस के लिए	—	250 किलोमीटर प्रतिदिन
3. बन्द ट्रक के लिए	—	250 किलोमीटर प्रतिदिन

24. सामान्यतः वाहन अजमेर के स्थानीय महाविद्यालय के साथ राजस्थान राज्य में स्थित शहरों/कस्बों में ही भेजे जाएंगे किन्तु आवश्यकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी भेजे जा सकते है।
25. राज्य से बाहर वाहन भेजे जाने पर देय सीमा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।
26. **प्रतिदिन की गणना**

    वाहन के लिए 24 घन्टे की गणना वाहन के विश्वविद्यालय में पहुँचकर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि /इंचार्ज के लॉग बुक पर हस्ताक्षर होने के समय से की जायेगी।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। नियमों एवं शर्तों की व्याख्या व उसमें किसी प्रकार की शिथिलता का अधिकार कुलपति महोदय में ही निहित होगा ।
28. निविदादाताओं की ओर से कोई भी जोड़ी गई शर्त अथवा सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
29. किसी भी निविदादाता को यदि पूर्व की कोई भी धरोहर/प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय में जमा है तो ऐसी पूर्व की जमा राशि यहां इस निविदा के साथ धरोहर/प्रतिभूति राशि के लिये मान्य नहीं होगी ।
30. न्यूनतम दर पर कार्य आदेश देने के लिये विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।
31. वाहन विश्वविद्यालय हेतु कुलसचिव, परीक्षा नियन्त्रक/उपकुलसचिव—गोपनीय/ कुलपति सचिवालय/उपकुलसचिव, सा0प्र0 के द्वारा सूचना मिलने पर ही तुरन्त उपलब्ध कराने होंगे तथा विशेष परिस्थिति में मौखिक व लिखित सूचना पर भी वाहन नियत समय पर देने होंगे। मौखिक सूचना की लिखित में सूचना दूसरे दिन फर्म को दी जाएगी।
32. निविदादाता द्वारा बिल मासिक रूप से प्रस्तुत करने होंगे । विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को सामान्यतः भुगतान बिल में यदि कोई कमी नहीं है तो बिल प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम एक माह की अवधि (अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर) में भुगतान कर दिया जायेगा ।
33. सफल निविदाकर अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ।
34. वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर रूपये 1000/— प्रतिदिन प्रति वाहन शास्ती की कटौती की जावेगी तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर हुए अधिक व्यय की वसूली संवेदक के बकाया देय राशि से वसूली की जावेगी।
35. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न समय में आवश्यकतानुसार जितने भी वाहनों की मांग की जावेगी। फर्म द्वारा उतने ही वाहन उपलब्ध कराने होंगे। एक दिन में आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार कार्यादेश दिया जा सकता है ।
36. वाहनों को यात्रा के दौरान किसी स्थान विशेष पर कार्य हेतु आवश्यकतानुसार दो या अधिक दिनों के लिए रोका जा सकता है ।

37. सफल निविदादाता की स्वयं की गाड़ियां होनी चाहिए तथा उन गाड़ियों के नम्बर मॉडल वर्ष एवं मेक कार्यालय में देना आवश्यक है ।
38. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव को होगा ।
39. अनुमोदित प्रदायक की दरें स्वीकृत किए जाने एवं कार्यादेश दिये जाने पर **रू. 1000/–** के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तों के अनुरूप इकरारनामा सात दिवस की अवधि में निष्पादित करना होगा ।
40. ट्रक, मिनी ट्रक, बस, मिनीबस आरटीओ के वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार की जायेगी। कार्यालय द्वारा मांगने पर उक्त प्रमाण पत्र दिखाना होगा। वर्ष 2011 के बाद के मॉडल के वाहन उपलब्ध कराने होंगे । इससे पूर्व के मॉडल के वाहन स्वीकार नहीं होंगे। विशेष परिस्थिति में वर्ष 2011 से पूर्व के मॉडल का वाहन उपलब्ध कराने पर उस वाहन के बिल से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जावेगी।
41. वाहन पंजीयन टी पी अथवा जी यू श्रेणी का होना चाहिए फिर भी अत्यावश्यक परिस्थिति में अन्य श्रेणी का वाहन ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो कर देयता की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, एवं समस्त विधिक दायित्व ठेकेदार का होगा।
42. निविदादाता को जिला परिवहन अधिकारी से नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, वाहन पर किसी भी प्रकार का कर/भार नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।
43. वाहन चालक ड्यूटी के दौरान लापरवाही करेगा या मादक द्रव्यों का सेवन करेगा या अनुबन्ध शर्तों के विरूद्ध अन्य कोई कार्य करेगा, तो वाहन मालिक तुरन्त अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करेगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
44. वाहन में किसी भी प्रकार की टूट फूट, चालान चोरी, एक्सीडेन्ट होने की जिम्मेदारी निविदादाता (वाहन मालिक) की होगी विश्वविद्यालय की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुआवजे आदि की भरपाई भी वाहन मालिक निविदादाता ही करेगा।
45. बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में जब्त की जावेगीः–

    1. निविदा स्वीकृति वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
    2. निर्धारित अवधि में करार का निष्पादन नहीं करता है।
    3. निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने पर विफल रहता है।

46. किसी भी वाहन पर बाल श्रमिक नहीं लगाया जायेगा।
47. वाहन कार्यादेश के अनुसार उपलब्ध नहीं कराने पर निविदा निरस्त करके धरोहर राशि जब्त की जावेगी तथा अन्य व्यवस्था संवेदक के रिस्क एण्ड कॉस्ट पर की जावेगी तथा हुए अधिक भुगतान की वसूली संवेदक से की जावेगी। बकाया देय राशि नहीं होने की स्थिति में राशि पी.डी.आर. के तहत वसूली की जावेगी।
48. निविदा एवं अनुबन्ध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका उल्लेख ऊपर नहीं दिया है राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय बजट वित्त एवं लेखा नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
व दूरभाष संख्या................................

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	क्षमता व मॉडल वर्ष	दर रू. प्रति किलोमीटर डीजल/पेट्रोल	अन्य विवरण
1	बस 52 सीटर			
2	मिनी बस 18–24 सीटर			
5	बंद ट्रक			

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील
व दूरभाष संख्या